रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 695] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 1, 2000/कार्तिक 10, 1922
No. 695] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2000/KARTIKA 10, 1922

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2000

का.आ. 966 (अ).—जबकि बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) (जिसे इसके आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) के खण्ड-62 के उप-खण्ड-(1) में यह प्रावधान किया गया है कि विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54 के अन्तर्गत बिहार के विद्यमान राज्य द्वारा गठित राज्य बिजली बोर्ड उन क्षेत्रों में कार्य करता रहेगा जिनके संबंध में यह निर्धारित दिन से तत्काल पहले कार्य कर रहा था जो इस खण्ड के प्रावधानों और केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत होगा ।

और चूंकि, जब तक विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) के अन्तर्गत एक नए राज्य बिजली बोर्ड का गठन नहीं कर लिया जाता अथवा उत्तरवर्ती राज्य द्वारा कोई अन्य उपयुक्त व्यवस्था नहीं कर ली जाती है । उत्तरवर्ती राज्य को विद्युत के उत्पादन तथा आपूर्ति के लिए आवश्यक नेटवर्क के प्रशासन, निमार्ण, अनुरक्षण और प्रचालन के संबंध में यथास्थिति बनाए रखना आवश्यक हो गया है ।

इसीलिए, अब केन्द्र सरकार बिहार तथा झारखण्ड के उत्तरवर्ती राज्यों का विद्युत के उत्पादन एवं आपूर्ति के संबंध में विद्यमान व्यवस्थाओं को जारी रखने के उद्देश्य से निम्नलिखित निदेश जारी करती है, क्रमशः

1. विद्युत के उत्पादन एवं आपूर्ति का जिन विद्यमान संगठनों द्वारा संचालन किया जा रहा है, वह पहले जैसे ही चलता रहेगा और इससे झारखण्ड के उत्तरवर्ती राज्य के किसी भी क्षेत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा ।
2. बिहार तथा झारखण्ड के उत्तरवर्ती राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्युत के उत्पादन और आपूर्ति से संगठित व्यवसाओं को किसी भी क्षेत्र के लिए, उस क्षेत्र के अलाभ के लिए इस कारण संशोधित नहीं किया जाएगा कि वह क्षेत्र उक्त अधिनियम के भाग-2 के प्रावधानों की वजह से उस राज्य के बाहर आता है जिस राज्य में विद्युत केन्द्र और उस विद्युत के उत्पादन अथवा आपूर्ति हेतु अन्य अधिष्ठापन अलग विद्युत की आपूर्ति के लिए विद्युत नेटवर्क और अन्य प्रदेश, जैसी स्थिति हो, नियत है ।
3. यह नियत दिन को लागू होगा ।

[फा. सं. 42/9/2000-आर एण्ड आर]

न, सं सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 2000

S.O. 966 (E).— WHEREAS sub-section(1) of section 62 of the Bihar Reorganisation Act, 2000 (30 of 2000) (hereinafter referred to as the said Act) provides that the State Electricity Board constituted under the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948) by the existing state of Bihar shall continue to function in those areas in respect of which it was functioning immediately before the appointed day subject to the provisions of this section and to such directions as may, from time to time, be issued by the Central Government;

AND WHEREAS till a new State Electricity Board is constituted under the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948) or any other suitable arrangement is made by the successor state, it has become necessary to maintain status quo in respect of the administration, construction, maintenance and operation of network necessary to generate and supply electricity to the successor state.

NOW, threfore, the Central Government, in the interest of continuance of existing arrangements in regard to generation and supply of electricity to the successor States of Bihar and Jharkhand, issues following directions, namely:-

(1) The generation and supply of electricity being managed by the existing organisations shall continue to be managed as before without any disadvantage to any area of the successor State of Jharkhand.

(2) The successor States of Bihar and Jharkhand shall ensure that the arrangements in regard to the generation and supply of electricity for any area shall not be modified to the disadvantage of that area by reason of fact it is, by virtue of the provisions of Part II of the said Act, outside the State in which the power station and other installation for generation or supply of such power or the power network and other works for the supply of power, as the case may be, are located.

(3) It shall come into force on the appointed day.

[F. No. 42/9/2000-R & R]

P.I. SUVRATHAN, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2000

का.आ. 967 (अ).— जबकि मध्य-प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 28) (जिसे इसके आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) के खण्ड-58 के उप-खण्ड-(1) में यह प्रावधान किया गया है कि विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के विद्यमान राज्य द्वारा गठित राज्य बिजली बोर्ड उन क्षेत्रों में कार्य करता रहेगा जिनके संबंध में यह निर्धारित दिन से तत्काल पहले कार्य कर रहा था जो इस खण्ड के प्रावधानों और केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत होगा ।

और चूंकि, जब तक विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) के अन्तर्गत एक नए राज्य बिजली बोर्ड का गठन नहीं कर लिया जाता अथवा उत्तरवर्ती राज्य द्वारा कोई अन्य उपयुक्त व्यवस्था नहीं कर ली जाती है । उत्तरवर्ती राज्य को विद्युत के उत्पादन तथा आपूर्ति के लिए आवश्यक नेटवर्क के प्रशासन, निमार्ण, अनुरक्षण और प्रचालन के संबंध में यथास्थिति बनाए रखना आवश्यक हो गया है ।

इसीलिए, अब केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ के उत्तरवर्ती राज्यों का विद्युत के उत्पादन एवं आपूर्ति के संबंध में विद्यमान व्यवस्थाओं को जारी रखने के उद्देश्य से निम्नलिखित निदेश जारी करती है, क्रमश:

1. विद्युत के उत्पादन एवं आपूर्ति का जिन विद्यमान संगठनों द्वारा संचालन किया जा रहा है, वह पहले जैसे ही चलता रहेगा और इससे छत्तीसगढ के उत्तरवर्ती राज्य के किसी भी क्षेत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा ।
2. मध्य-प्रदेश और छत्तीसगढ के उत्तरवर्ती राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्युत के उत्पादन और आपूर्ति से संगठित व्यवसाओं को किसी भी क्षेत्र के लिए, उस क्षेत्र के अलाभ के लिए इस कारण संशोधित नहीं किया जाएगा कि यह क्षेत्र उक्त अधिनियम के भाग-2 के प्रावधानों की वजह से उस राज्य के बाहर आता है जिस राज्य में विद्युत केन्द्र और उस विद्युत के उत्पादन अथवा आपूर्ति हेतु अन्य अधिष्ठापन अलग विद्युत की आपूर्ति के लिए विद्युत नेटवर्क और अन्य प्रदेश, जैसी स्थिति हो, नियत है ।
3. यह नियत दिन को लागू होगा ।

[फा. सं. 42/8/2000-आर एण्ड आर]

पी.आई. सुव्रतन, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 2000

S.O. 967 (E).— WHEREAS sub section (1) of section 58 of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000. (28 of 2000) (hereinafter referred to as the said Act) provides that the State Electricity Board constituted under the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948) by the existing state of Madhya Pradesh shall continue to function in those areas in respect of which it was functioning immediately before the appointed day subject to the provisions of this section and to such directions as may, from time to time, be issued by the Central Government;

AND WHEREAS, till a new State Electricity Board is constituted under the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948) or any other suitable arrangement is made by the successor state, it has become necessary to maintain status quo in respect of the administration, construction, maintenance and operation of network necessary to generate and supply electricity power to the successor state.

NOW, therefore, the Central Government in the interest of continuance of existing arrangements in regard to generation and supply of electricity to the successor States of Madhya Pradesh and Chhattisgarh, issues following directions, namely:-

(1) The generation and supply of electricity being managed by the existing organisations shall continue to be managed as before without any disadvantage to any area of the successor State of Chhattisgarh.

(2) The successor States of Madhya Pradesh and Chhattisgarh shall ensure that the arrangements in regard to the generation and supply of electricity, for any area shall not be modified to the disadvantage of that area by reason of fact it is, by virtue of the provisions of Part II of the said Act, outside the State in which the power station and other installation for generation or supply of such power or the power network and other works for the supply of power, as the case may be, are located.

(3) It shall come into force on the appointed day.

[F. No. 42/8/2000-R & R]

P.I. SUVRATHAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.